प्र०प० – 81/2011
रामप्रसाद v/s महाप्रबंधिकारी NH-12

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
21/3/24	

अभिभाषक उभयपक्ष उप0 ।अभिभाषक प्रार्थीगण ने दोराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 253/1 एंव 253/3 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा एंव 253/2 रकबा 5 बीधा जो अधिसूचना के पूर्व मे ही अलग–अलग खातेदारी मे अंकित थी। अवार्ड संख्या 621/2009 मे आवेदक व विपक्षी की खातेदारी की भूमि को सम्मिलित करते हुए राजस्व रिकार्ड के विपरित बहिस्सा बराबर स्वविवेक से आंकलन कर संयुक्त मुआवजा निर्धारित किया गया है। अलग–अलग खसरा नम्बर व रकबा होने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा एकजाई सूचना जारी करना व संयुक्त अवार्ड जारी करना गैर कानूनी है। अलग–अलग भूमि का अलग–अलग खातेदार के नाम से चैक जारी किया जाना आवश्यक था। प्रार्थीगण की अधिक भूमि अवाप्त हुई। अवार्ड दिनांक 08.07.2010 मे संशोधन कर आवेदक की अवाप्तशुदा भूमि की नाप कर पूर्ण भूमि का चैक आवेदक को दिलवाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ता. 7 ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि अवार्ड संख्या 621/2009 दिनांक 08.07.2010 संयुक्त जारी किया गया है। अवार्ड की राशि भी पक्षकारान द्वारा बराबर–बराबर प्राप्त की है। विचाराधीन प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य राशि को लेकर विवाद है। इस कारण उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। प्रार्थीगण को सिविल न्यायालय मे वाद दायर करना चाहिए था। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य राशि/बंटवारे के सबंध मे विवाद है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 मे धारा 3 एच (4) के बिन्दु संख्या 4 मे ''यदि राशि या उसके किसी भाग या किसी ऐसे व्यक्ति को,जिसे वह राशि या उसका कोई भाग देय है,के बंटवारे के सबंध मे कोई विवाद उत्पन्न होता है,तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख सिविल न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा। भूमि किसके अधिकार क्षेत्र मे स्थित है'' का उल्लेख है।

न्यायालय हाजा को ''यदि राशि या उसके किसी भाग या किसी ऐसे व्यक्ति को,जिसे वह राशि या उसका कोई भाग देय है,के बंटवारे के सबंध मे कोई विवाद उत्पन्न होता है'' तो इस प्रकार के प्रार्थना पत्रो को सुनने का क्षैत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार नही है। प्रार्थीगण समक्ष न्यायालय मे चारा–जोही करने हेतु स्वंतत्र है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)